ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(4)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2025-02966 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

गेहूं आवंटन आदेश माह जून, 2025 (संशोधित)
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

विभागीय आदेश समसंख्यक दिनांक 24.04.2025 को अतिक्रमित करते हुए अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश संख्या 7-1/2019-बीपी-III पार्टV (e-376706) दिनांक 16.10.2023 एवं आदेश संख्या 15-33/2012-NFSA-पार्ट दिनांक 23.11.2023 विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को **निःशुल्क** पात्रतानुसार **माह जून, 2025** हेतु गेहूं का जिलेवार **संशोधित उप-आवंटन** संलग्न **परिशिष्ट-1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :-

गेहूं आंवटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	**निःशुल्क**
द्वितीय	PHH (Others)	**निःशुल्क**

2- खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **15.04.2025** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3- **माह जून, 2025 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव तत्काल प्रारम्भ किया जावें तथा दिनांक 31 मई, 2025 तक शत-प्रतिशत उठाव किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावें। खाद्यान्न उठाव की अवधि नहीं बढायी जावेगी तथा कम उठाव किये जाने के कारण लाभार्थियों के गेहूं प्राप्ति से वंचित रहने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।**

4- खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

5- **आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत मात्रा के उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक नागरिक आपूर्ति की होगी।** *वह उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये गये गेहूं का तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेगें।*

6- उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। *जिला रसद अधिकारी*/**प्रबंधक नागरिक आपूर्ति** *आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेगें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होगें।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Brahm Lal Jat
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.04 15:01:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15087989

7– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

8– गेहूं वितरण की ग्राहकपर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

9– सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें। **जिला रसद अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि किसी उचित मूल्य दुकान पर आवश्यकता से अधिक स्टॉक एकत्रित न होने पावें।**

10– ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पॉस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होगें।

11– माह जून, 2025 के आवंटन में एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य प्रारम्भिक अवशेष स्टॉक का समायोजन किया गया है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें। यहां यह भी सुनिश्चित किया जावें कि किसी भी निष्क्रिय पोस मशीन हेतु आर.ओ.जारी न हो पावें।

14– ''वन नेशन वन राशनकार्ड'' के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

15– माह जून, 2025 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावें।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी आदेश दिनांक 30.10.2024 एवं पत्र दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह में प्रत्येक दिन समानुपातिक रूप से करते हुए अंतिम तिथि तक शत–प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। *भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये है।*

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

नोटः–माह जून, 2025 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का 41 जिलों के आधार पर किया जा रहा है। आवंटित खाद्यान्न का उठाव एवं उचित मूल्य दुकान पर आपूर्ति वर्तमान टेण्डर अवधि समाप्ति तक पूर्वानुसार परिवहनकर्ता के माध्यम से की जावेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(ब्रहम लाल जाट)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Brahm Lal Jat
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.04 15:01:44 IST
Reason: Approved

क्रमांक:एफ 13(4)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2025-02966 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के इन्द्राज हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खोलने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग,राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. महाप्रबंधक (क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि **खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहू) के रिलीज आर्डर स्थानीय/निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।**
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि **उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रकिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।**
10. समस्त जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक नागरिक आपूर्ति राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि **नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूं का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारतसरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रकिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत-प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें।** *जिला रसद अधिकारी*/**प्रबंधक नागरिक आपूर्ति** *आवंटित गेहूं की उचित मूल्य दुकानों पर तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना तथा आपूर्ति की गई सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेगें। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।*
11. ए.सी.पी.(खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पोर्टल पर इन्द्राज कराने हेतु ऑप्शनस्थायी रूप से खुलवाने की कार्यवाही करें।
12. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Brahm Lal Jat
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.04 15:01:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15087989

परिशिष्ट-1

NFSA Regular Wheat Allotment June-2025

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	389.217	605.722	253.829	4565.332	5814.100
2	Alwar	385.734	923.177	270.168	4900.930	6480.009
3	Balotra	315.875	975.503	131.236	2427.047	3849.661
4	Banswara	1372.851	1954.233	579.021	2619.463	6525.568
5	Baran	1463.290	759.950	161.969	2480.985	4866.194
6	Barmer	440.392	1164.294	197.104	3084.669	4886.459
7	Beawar	386.472	587.567	206.871	2315.134	3496.044
8	Bharatpur	296.152	873.135	212.892	3475.838	4858.017
9	Bhilwara	855.228	1381.194	462.688	4238.476	6937.586
10	Bikaner	398.358	1903.395	415.784	3532.910	6250.447
11	Bundi	451.681	726.768	206.613	2724.258	4109.320
12	Chittaurgarh	826.424	762.514	499.879	2159.042	4247.859
13	Churu	712.492	1736.120	357.100	3529.767	6335.479
14	Dausa	325.412	1029.591	157.906	3873.949	5386.858
15	Deeg	239.483	624.265	156.133	2990.654	4010.535
16	Dhaulpur	289.341	616.664	130.366	3026.792	4063.163
17	Didwana-	247.381	671.814	138.188	4651.980	5709.363
18	Dungarpur	1027.143	2184.840	308.359	2102.247	5622.589
19	Ganganagar	399.826	1319.496	146.037	4102.206	5967.565
20	Hanumangarh	442.317	946.667	162.156	3136.067	4687.207
21	Jaipur	343.950	1244.873	389.345	10701.443	12679.611
22	Jaisalmer	214.462	426.014	102.746	1267.584	2010.806
23	Jalor	716.236	1369.415	305.222	3390.885	5781.758
24	Jhalawar	581.573	1141.023	277.445	3452.657	5452.698
25	Jhunjhunun	312.133	522.576	202.976	5583.847	6621.532
26	Jodhpur	168.222	1025.811	112.846	5575.439	6882.318
27	Karauli	497.251	1270.095	228.366	2283.597	4279.309
28	Khairthal-Tijara	152.053	209.250	106.089	2215.603	2682.995
29	Kota	325.753	1021.250	157.757	3102.085	4606.845
30	Kotputli-Behror	186.730	498.632	198.258	3487.517	4371.137
31	Nagaur	301.047	622.203	208.045	4223.069	5354.364
32	Pali	406.492	883.668	214.241	3044.217	4548.618
33	Phalodi	93.422	463.280	52.685	1524.465	2133.852
34	Pratapgarh	509.671	1040.529	252.632	1738.847	3541.679
35	Rajsamand	612.088	843.311	232.522	2400.305	4088.226
36	Salumbar	377.425	876.493	185.742	812.326	2251.986
37	Sawai Madhopur	505.425	791.534	267.867	2755.338	4320.164
38	Sikar	271.779	755.117	166.819	6959.113	8152.828
39	Sirohi	356.876	551.793	185.687	2684.917	3779.273
40	Tonk	552.002	889.070	346.051	3296.362	5083.485
41	Udaipur	1231.848	2261.595	477.680	3694.210	7665.333
	Total	19981.507	40454.441	9825.320	140131.572	210392.840

Signature Not Verified

Digitally signed by Brahm Lal Jat
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.04 15:01:44 IST
Reason: Approved